राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (विविध)आकाशि / नि.सं. / 2019 / 62 दिनांकः– 17-02-2020

संस्था सचिव / प्राचार्य
समस्त निजी महाविद्यालय।

विषयः–निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिशिचित करने बाबत्।
संदर्भः–विभाग का पत्रांक 153 दिनांक 05.04.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तगर्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के प्रति दुर्व्यहार की रोकथाम हेतु एक आन्तरिक समिति का गठन कर महाविद्यालय परिसर में सूचनापट्ट पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों एवं आमजन की सूचनार्थ बोर्ड पर समिति सदस्यों के मोबाइल नम्बर सहित लिखवाया जाना सुनिश्चित् करें। ज्ञातव्य है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित् करना राज्य सरकार का निर्देशक़ बिन्दु है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. संयुक्त सचिव, (जी.बी.), मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर के डायरी क्रमांक डी–3131 दिनांक 10.01.2020 के क्रम में।
2. संयुक्त सचिव, कार्यालय शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के डायरी संख्या 200 दिनांक 15.01.2020 के क्रम में।
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर, अपलोड करने हेतु।

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
कॉलेज–शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (20)आकाशि/पॉलिसी/नि.सं./2019/ 153 दिनांक : 5/4/19

सचिव, प्रबंध समिति/प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान,

विषयः– निजी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न समितियों के गठन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु पारित Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act. 2013 की अनुपालना में सभी महाविद्यालयों में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक आन्तरिक समिति का गठन कर महाविद्यालय परिसर में सूचना पट्ट पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों एवं आमजन की सूचनार्थ बोर्ड पर समिति सदस्यों के मोबाइल नं. सहित लिखवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसी क्रम में लेख है कि महाविद्यालय में छात्राओं की समस्या निवारण एवं सहायता हेतु Girls Mentoring Cell, सभी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु **विद्यार्थी परामर्श केन्द्र** तथा महाविद्यालय में रैगिंग की रोकथाम हेतु Anti Ragging Cell का गठन किया जाना सुनिश्चित करें। ध्यातव्य है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना राज्य सरकार का निर्देशक बिन्दु हैं।

संलग्नः– Sexual Harassment of Women at Workplace Act. 2013 पर भारत सरकार द्वारा जारी हैडबुक।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (20)आकाशि/पॉलिसी/नि.सं./2019/ 153 दिनांक : 5/4/19

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर